

परीक्षा
25/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
मूलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट कां परेकड़ी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत


वाद-पत्र नम्बर 225/2021

GCMS No. 2021/844

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

25.11.2021 वादी श्री मूलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी परेकड़ी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत परेकड़ी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 207376 ग्राम परेकड़ी पटवार मण्डल परेकड़ी के खाता नम्बर 242 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि मूलाराम पुत्र गोकिल राम दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम मूलाराम पुत्र लालाराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 847426007728 मतदाता पहचान पत्र — अन्य दस्तावेज — की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी परेकड़ी भू.अ.नि किल्ला एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

942-847


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

